संख्या– 22/एक–10–2019–15(जी)/2017

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनांकः 10 जनवरी, 2019

विषयः वर्ष 2018 में बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों के तात्कालिक मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018 में बाढ़/भारी वर्षा से जनपद की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों का विवरण आपके पत्रांक 8137/आपदा लिपिक (क्षति0सार्व0परि0–धना0) दिनांक–23–11–2018 द्वारा उपलब्ध कराते हुए उनकी मरम्मत हेतु कुल रू0–525.86 लाख की धनराशि आवंटित किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2– आपके जनपद की मांग के सापेक्ष भारत सरकार के आदेश दिनांक–18–04–2015 में निर्धारित मानक के अनुसार बाढ़/भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0 525.86 लाख (रूपये पॉच करोड़ पच्चीस लाख छियासी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाखमें)
1	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त अकला सम्पर्क मार्ग के किमी0 3 में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	5.05
2	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बहादुरगंज बाजार से श्रावस्ती बार्डर सम्पर्क मार्ग के किमी0 2 में पुलिया की मरम्मत का कार्य।	5.06
3	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बरहना सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	77.21
4	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त चौधरीडीह ललिया सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	38.19
5	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त चोरघटिया सम्पर्क मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलियो के स्थान पर पुलिया की मरम्मत का कार्य।	8.08
6	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हिण्डुली कलां सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	23.17

Scanned by CamScanner

7	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हरिहरगंज ललिया बनकटवा मार्ग (अजिमा) के किमी0 12 में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	4.47
8	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त एच0एन0के0 से नेवाजपुर धौरहरी सम्पर्क मार्ग के किमी0 3 में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	41.37
9	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त जमुनी महाराजगंज से श्रावस्ती बार्डर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	5.02
10	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कोड़री मथुरा चौधरीडीह मार्ग (अजिमा) के किमी0 10 में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	20.59
11	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मथुरा वीरपुर गोपालपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	17.55
12	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त नन्दमहरा पिपरहवा कौआपुर मार्ग (अजिमा) में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	21.78
13	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त ओदरहिया छोटकी सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	9.32
14	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बनगाई सम्पर्क मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	9.43
15	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बेनीनगर गैसड़ी जरवा मार्ग (अजिमा) में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	39.27
16	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बेलहा गौरा इटवा मार्ग से अम्बरनगर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	20.01
17	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भोजपुर पम्प नहर से गौरा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	9.27
18	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त दयालीपुर से बनकसिया मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	12.27
19	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त गैसड़ी ठकुरापुर सम्पर्क मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	25.42
20	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त गुलरिहा चायडीह सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	26.43
21	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त नेवलगढ़ सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	35.55
22	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सुखरामपुर से बिलोहा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	

Scanned by CamScanner

23	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त टेंगनहवा अम्बरनगर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	57
24	वर्ष 2018–19 में जनपद में आयी बाढ़/ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त तुलसीपुर बघेलखण्ड मार्ग से विश्रामपुर सम्पर्क मार्ग में क्षतिग्रस्त पुलिया की मरम्मत का कार्य।	9.35
	योगः–	**525.86**

(रूपये पॉच करोड़ पच्चीस लाख छियासी हजार मात्र)

3– स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से उपभोग किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–ए–1–803 /दस–2013–10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013, जिसे राहत की बेवसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है, के अनुसार किया जायेगा।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड–800– अन्य व्यय–05–नेशनल डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो के लिए ही किया जायेगा। किसी भी अन्य कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

6– कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व, कार्य के समय एवं कार्य समाप्ति के उपरान्त फोटोग्राफ अवश्य रखे जायें एवं प्रगति रिपोर्ट राहत आयुक्त कार्यालय की ई–मेल rahat@nic-in पर उपलब्ध करायी जाये।

7– राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त निमयानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

8– निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है । अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है । अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

9– राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत. यू0पी0.एनआईसी0.इन पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय ।

10– राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–यू0ओ0–2/1–11–2013–रा0–11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2019 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये ।

11– उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या–42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

Scanned by CamScanner

12— व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकित कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या — 22 (1)/1—10—2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
2— सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3— सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
4— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त , उ0प्र0।
5— अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, बलरामपुर ।
6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—5
7— समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग—10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
8— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

Scanned by CamScanner